न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रत्तीराम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सनेट तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली (राज0)

– रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.06.2019 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली विभागीय मुकदमा नंबर 208 / 30.12.2018 उनवानी सरकार बनाम रत्तीराम जिसकी रूह से प्राधिकार पत्र संख्या 225 / 06 ग्राम पंचायत सनेट को निरस्त किया गया है के विरूद्ध अपील

उपस्थिति– 1 श्री लक्ष्मीनाथ योगी, एडवोकेट अपीलार्थी
2 श्री हरविन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक, प्रतिनिधि प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 07.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी, करौली व प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन द्वारा दिनांक 30.12.2018 को अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर प्रस्तुत 8 राशनकार्डों के गेंहूं वितरण में 4.60 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग एवं ट्रांस्फर किये जाने वाले स्टॉक 82.87 क्विं. गेंहूं का नहीं पाया जाना तथा 87 किलो गेंहूं का कम ट्रांस्फर किये जाने की अनियमितताएं पाये जाने पर अपीलार्थी का दिनांक 10.06.2019 को राशन प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 10.06.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत, विरूद्ध कानून होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करते समय प्रार्थी अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एक तरफा आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट पिछले कई वर्षों से उपभोक्ताओं एवं निरीक्षणकर्ताओं की पूर्ण संतुष्टि एवं बिना किसी शिकायत का अवसर दिये राशन सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट की शिकायत बिना आधार, निराधार पेश की थी। शिकायत के आधार पर दिनांक 30.12.2018 के दिवस प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन सिटी द्वारा मौका अवलोकन (जाँच) किया गया। उस दिन अपीलाण्ट प्रार्थी मौके पर मौजूद था। अपीलाण्ट ने उचित मूल्य दुकान पर जाकर भौतिक सत्यापन करवाया व दस्तावेजों की जांच करवाई है। अपीलाण्ट के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने झूठी रिपोर्ट पेश की थी। शिकायतकर्ताओं ने पॉश मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर 4.60 क्विं. गेंहू राशन सामग्री प्राप्त कर ली गई थी। शिकायतकर्ताओं ने राशन सामग्री गेंहू प्राप्त कर लिये थे। मगर राशन कार्ड साथ में नहीं लाने के कारण इसका इन्द्राज राशन कार्डो में नहीं हो सका। अपीलाण्ट ने खादय सुरक्षा योजना के गेंहू का दुरूपयोग नही किया है बल्कि अपीलाण्ट ने खादय सुरक्षा के गेंहू का शिकायतकर्ताओं को वितरण किया गया है जो पोश मशीन से साबित है। शिकायतकर्ताओं ने राजनैतिक रंजिश के कारण अपीलाण्ट के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। अपीलाण्ट ने खादय सुरक्षा के गेंहू का दुरूपयोग नही किया है।

जिला कलक्टर
करौली

अपीलाण्ट ने सम्पूर्ण गेंहू स्टॉक को अन्य राशन डीलर श्री छगन लाल मीना गुनसार को ट्रांसफर कर दिया गया था जिसका बिल अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जा चुका है तथा बिल की फोटो कापी अपील के साथ पेश है। अपीलाण्ट के खिलाफ 82.87 क्विंटल गेंहू अन्य राशन डीलर छगनलाल मीना गुनसार को ट्रांसफर कर दिया गया है जिसकी बिल की फोटो कापी पेश है। अपीलाण्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो 10, 17 (सी) एवं 18 का उल्लंघन नही किया है। अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बिना किसी कारण के मनमानी पूर्वक तरीके से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अपीलाण्ट नियमानुसार ही खाद्यान्न सामग्री का वितरण करता चला आ रहा था अपीलाण्ट द्वारा खाद्यान्न सामग्री वितरण में खाद्य विभाग के आदेश दिनांक 08.11.2017 की पूर्णरूपेण पालना की है। अपीलाण्ट ने राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि दिनांक 30.12.2018 को जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा मय टीम अपीलार्थी राशन डीलर की दुकान की जांच की। अपीलार्थी मौके पर उपस्थित था जिसने दुकान का निरीक्षण करवाया। अपीलार्थी राशन डीलर को 82.87 क्विं. गेंहूं अन्य डीलर श्री छगनलाल मीना गुनसार को हस्तांतरित करना था लेकिन वक्त जांच ना तो अपीलार्थी द्वारा उक्त गेंहूं श्री छगनलाल मीना गुनसार को हस्तांतरित किया गया था ना ही अपीलार्थी की दुकान पर पाया गया। बाद में दिनांक 07.02.2019 को हस्तांतरित किये गये 82 क्विं. गेंहूं की रसीद दिनांक 10.04.2019 को पेश की है एवं 87 किलो गेंहूं अब तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। वक्त जांच मौके पर प्रस्तुत किये गये राशनकार्डों में से 8 राशनकार्डों पर अपीलार्थी द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके गेंहूं निकाला गया है जबकि ना तो उपभोक्ताओं को दिया गया है और ना ही राशनकार्डों में इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 8 राशनकार्डों पर 4.60 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग किया गया है। अपीलार्थी का कहना कि उपभोक्ता राशनकार्ड साथ लेकर नहीं आये थे जिससे इन्द्राज नहीं हो सका था पूर्णतया गलत है। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। अपीलार्थी स्वयं 18.01.2019 व 10.04.2019 को स्वयं उपस्थित भी हुआ है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलाण्ट की दुकान की जांच अपीलाण्ट की उपस्थिति में दिनांक 30.12.2018 को की गई है। वक्त जांच प्रस्तुत राशन कार्डों में से 8 राशन कार्डों पर अपीलार्थी द्वारा 4.60 क्विं. गेंहूं का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया है जिसका ना तो उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में इन्द्राज किया गया है और ना ही उपभोक्ताओं को दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा 4.60 क्विं. गेंहूं का दुरुपयोग किया गया है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा 87 किलो गेंहूं को आदिनांक अन्य राशन डीलर श्री छगनलाल मीना को हस्तांतरित किया है जो कि गंभीर अनियमितताएं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली का निर्णय दिनांक 10.06.2019 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी, करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

7/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली